न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 216/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/207
दायर दिनांक :– 22.08.2022 निर्णय दिनांक :– 22.08.2025

1. अर्जुनराम पुत्र हरूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
2. मनोहरराम पुत्र हरूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
3. श्रीराराम पुत्र हरूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
4. हजारीराम पुत्र हरूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
5. सुगनी पत्नी हरूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
6. मोहनराम पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
7. रामेश्वरलाल पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
8. श्रवण कुमार पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
9. शिशुपाल पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. शूरवीरसिंह पुत्र महेन्द्रपालसिंह जाति राजपूत निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
2. भवानीसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण द्वारा बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के खातेदारी खेत ग्राम जाम्बा के खसरा नम्बर 147/2 रकबा 6.7987 हैक्टेयर भूमि तथा वादीगण संख्या 6 ता 9 के नाम खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 147/1 रकबा 3.6503 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 147/3 रकबा 6

22/8/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

7987 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगणों के खातेदारी का खेत में प्रार्थीगण हर वर्ष प्राकृतिक पैदावार लेते आ रहे है। जिसमें किसी का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा प्रार्थीगणों के खातेदारी खेत में किसी प्रकार की कोई दखलदांजी करने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि को को हड़प करने की नियत से राजस्व टीम द्वारा खेत की सीमा पर की गई पत्थरगढी के साथ बार–बार छेड़कानी करने पर आमदा है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगणों की खेत की सीमा से लगते हुवे कणे पर की गई बाड़ को नहीं हटाने के लिये यह प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की और से राजेन्द्रसिंह सोलकी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना–पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद्पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी सम्वत 2076–2079 का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में अलग–अलग खाता में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि को लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के मध्य विवाद है या नहीं इस संबंध में प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अगर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में अलग–अलग खाता में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि को लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

ता 2 के मध्य विवाद है या नहीं इस संबंध में प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अधिक नुकसान होगा। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 188,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण खारिज किया जाता पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)